उत्तर प्रदेश

1. गुलालडीह क्षेत्र, सोनभद्र जिला
2. सोनपाली स्वर्ण पट्टी
3. प्रोटेरोजोयक पहाड़ियां, सोनभद्र तथा सिंधी जिले

राजस्थान

1. आत्रदपुरी-भूकिया, बांसवाड़ा जिला
2. हिरलोज-माता क्षेत्र, डुंगरपुर जिला-डागल क्षेत्र, बांसवाड़ा क्षेत्र
3. उदयपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में पालेओपलेसर्स
4. पिण्डवाल-बाटेरा क्षेत्र, सिरोही जिला

सिक्किम

1. सिक्किम के पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तर तथा दक्षिण जिले
2. दुबा-पाचेखानी क्षेत्र पूर्वी जिला, सिक्किम

प० बंगाल

1. डाल्मापट्टी का उत्तर क्षेत्र, पुरूलिया, बांकरा, मेघनीपुर जिले

अंडमान द्वीप-समूह

1. देओदनाबाद काडियाघाट क्षेत्र, दक्षिण अंडमान

बिहार

1. बाबाइकुंडी-बीरगांव, रांची जिला
2. डाल्मा वोलकानिक्स का उत्तरी क्षेत्र, रोनोही क्षेत्र तथा सिंहभूम जिला
3. धनजोरी बेसिन, पूर्वी सिंहभूम जिला
4. सोनो क्षेत्र, जामुई जिला
5. कुंदेरकोचा, पूर्वी सिंहभूम जिला

मेघालय

1. टाइरप्साद-माफलांग क्षेत्र पूर्वी खासी पहाड़ी जिला

असम

1. कालियानी स्वीयर क्षेत्र तथा दिजु घाटी क्षेत्र, कार्बी अंगलोंग जिला

Press reports about the gold fields in Bastar District

1320. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there have been press reports about the gold fields found in a 20 kms. stretch of Bastar district of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the details of deposits assessed?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) Yes, Sir.

(b) In Sonadehi area of Bastar district of Madhya Pradesh incidences of gold have been found over a stretch of 20 km in the Banded Iron Ore Formation. However, no gold deposit has yet been established by GSI in Sonadehi area. The exploration is at preliminary stage.

Committee to review the mining rules and procedure

1321. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have constituted a committee to review the mining rules and procedure recently;

(b) whether it is also a fact that Government have proposed to delegate more powers to the State Governments for the grant/renewal/licensing of mines in their respective States; and

(c) if so, the details thereof alongwith the areas so identified for this purpose?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) to (c) The Central Government have constituted a Committee under the Chairmanship of Secretary (Mines) with Secretaries Mines & Geology of the state Governments, Federation of Indian Mineral Industries and Indian Bureau of Mines, etc. as members. The terms of reference of the Committee *inter-alia* include review of the existing laws and procedures governing regulation and development of minerals and to recommend steps to make them compatible with the policy changes, to

suggest steps to reduce delays in grant/ renewal of Prospectig Licence/Mining Lease, further delegation of powers to the State Governments regarding grant/ renewal of Prospecting Licence/Mining Leases and measures to be taken to prevent illegal mining.

बेन्टोनाइट का निर्यात और दोहन

1322. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के कच्छ जिले में बेन्टोनाइट और अन्य बहुमूल्य खनिजों का विशाल भंडार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खनिजों के दोहन और निर्यात हेतु क्या कदम उठाये गये थे;

(घ) उक्त खनिजों विशेषत: बेन्टोनाइट के आयात कर्ताओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या धातु और खनिज व्यापार निगम (एम०एम०टी०सी०) ने बेन्टोनाइट के निर्यात हेतु किसी अमरीकन कंपनी के साथ समझौता किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) धातु और खनिज व्यापार निगम (एम०एम०टी०सी०) ने बेन्टोनाइट के निर्यात के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए क्या शर्तें और प्रक्रिया निर्धारित की है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) जी, हां, । कच्छ जिले में 50 मिलियन टन बेंटोनाइट के निक्षेप हैं जो देश के निक्षेपों का 13.7% है। दिनांक 1.4.90 की स्थिति के अनुसार कच्छ जिले में अन्य खनिजों के प्राप्ति योग्य निक्षेप (हजार टन में) निम्नानुसार है:–

बाक्साइट	—	33660
बालक्ले	—	50
चायनाक्ले	—	535
फायरक्ले	—	10
जिप्सम	—	2198
ओकर	—	50
क्वार्टज और सिलिका सैंड	—	2860
लाइमस्टोन	—	5870999

(ग) राज्य उपक्रम मैसर्स गुजरात खनिज निगम विकास लि० और अनेक निजी खान मालिक बाक्साइट, बालक्ले, बेंटोनाइट, फायरक्ले, जिप्सम, काओलिन, लिग्नाइट, लाइमस्टोन और सिलिका सैंड के खनन कार्य पहले से ही कर रहे हैं। इन खनिजों का विदोहन खान एव खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्यात का दिशा-निर्देशन सरकार की एक्जिम नीति के अनुसार किया जाता है।

(घ) आयात एवं निर्यात की सूचना का संकलन करने वाले वाणिज्यिक आसूचना महानिदेशालय ने सूचित किया है कि वह आयात और निर्यात के जिले/राज्यवार आंकड़ों का संकलन नहीं करता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) मौजूदा "एक्जिम" नीति के अनुसार बेंटोनाइट का निर्यात 'ओ०जी०एल०' के अन्तर्गत किया जा सकता है। खनिज एवं धातु व्यापार निगम मूल्य, विशिष्टियां इत्यादि की दृष्टि से उत्पादों के निर्यात और प्रतिस्पर्द्धा की संभाव्यता/संभावनाओं के आधार पर गुजरात में छोटे खनिज उत्पादकों और निर्यातकों से बेंटोनाइट की समय-समय पर व्यवस्था करता है।

Mineral Reserves and Development of Mines in Orissa

1323. *SHRI BHAGABAN MAJHI* : Will the Minister of MINES be pleased to state :

(a) the estimated minerals reserve in the country at present, State-wise, mineral-wise;

(b) the estimated quantity of minerals being mined every day in the State of Orissa, mineral-wise;

(c) whether Government have formulated any scheme for adequate exploitation of these minerals hidden under the soil in the interest of Orissa;

(d) if so, the details thereof;

(e) the names of areas where new mines have been identified in Orissa; and